भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 260

उत्तर देने की तारीखः 20.03.2017

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

***260. श्री दिनेश त्रिवेदीः**

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय शिक्षा सेवा गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की क्या योजना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तौर- तरीकों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा में अलग-अलग विनियामकों को शासित करने वाले मौजूदा पृथक कानूनों के स्थान पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन अधिनियम को लागू किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भी स्थापित किए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा कब तक कार्य करना शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के संबंध में श्री दिनेश त्रिवेदी और श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा दिनांक 20.03.2017 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 260 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): जी, नहीं। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संवर्धन एवं प्रबंधन अधिनियम बनाने तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड गठित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु समिति में अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संवर्धन एवं प्रबंधन अधिनियम बनाने तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के गठन के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। सभी बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

*****